

प्रवासियों के मामले पर कांग्रेस ने एनएचआरसी को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के निर्देश पर शुक्रवार को कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन एडवोकेट अनिल कुमार एवं मानवाधिकार विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अमेरिका से 104 भारतीयों को मिलिट्री विमान में अमानवीय तरीके से अपराधियों की भांति वापस भेजने के मामले में चिंता जताई गई है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल लीगल सेल के चेयरमैन एडवोकेट अनिल कुमार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख को कहा कि यह शर्मनाक है। भारतीय प्रवासियों को एक सैन्य विमान में अपराधियों की

भांति जिस तरह से बेड़ियां लगाकर अमेरिका से भारत भेजा गया है, वह अमानवीय प्रताड़ना है। वह अमेरिका रोजगार के लिए गए थे, कोई अपराधी नहीं थे और नहीं किसी आपराधिक

अमेरिका से
भारतीयों को अमानवीय
तरीके से वापस भेजने
पर जताई चिंता

गतिविधि में शामिल थे। अमेरिका मानवाधिकारों के चैम्पियन होने का दावा करता है, लेकिन मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हम आयोग से मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार इस मामले में संवेदनशीलतापूर्वक हस्तक्षेप करके वापस भेजे गए युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्राथमिकता के तौर पर कदम उठाए। कांग्रेस की शिकायत ने मानवाधिकार आयोग प्रमुख से यह जांच करने की अपील की कि भारतीयों को अमानवीय तरीके से क्यों निर्वासित किया गया था। केन्द्र सरकार इस पर संज्ञान ले कि भारतीयों को अमानवीय तरीके से सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर 104 भारतीयों को वापस क्यों भेजा है।



<mark>पहल</mark>. हाजत में बंदी की मौत को लेकर ओडी पदाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी

न्यायिक जांच के लिए जिला जज व एनएचआरसी को भेजा गया पत्र

संवाददाता, मुजपफरपुर

कांटी थाना हाजत में बाइक छिनतई के आरोप में पकड़े गए आनंद कुमार उर्फ शिवम (18) की मौत के मामले में एनएचआरसी व जिला जल को पत्र भेज दिया गया है. एसएसपी सुशील कुमार की ओर से यह पत्र भेजा गया है. एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) की गाइडलाइन के अनुसार जिला जज की ओर से घटना की न्यायिक जांच के लिए एक कमेटी का गठन होगा. यह टीम थाना हाजत में कैदी की कैसे व किन परिस्थितियों में मौत हुई, इसकी जांच करेगी. उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. इधर, पुलिस के सूत्रों के अनुसार हाजत में कैदी की मौत को लेकर ओडी पदाधिकारी तनुजा कुमारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है, वहीं, मृतक शिवम की मां रिंकू देवी की ओर से थाने में



खबर को वेबसाइट पर पढ़ने के लिए स्कैन करें कांटी थाना हाजत में युवक की मौत का मामला



शोकाकुल परिजन.

दिये गए लिखित शिकायत में थानेदार सुधाकर पांडेय, ओडी पदाधिकारी व संतरी ड्यूटी में तैनात होमगार्ड जवान पर हत्या का आरोप लगाया गया था, उस आवेदन का थाने के स्टेशन डायरी में सनहा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है. ग्रामीण एसपी विद्या सागर ने शुक्रवार को थाना परिसर पहुंच कर पूरे मामले की छानबीन की. थाना सिरिस्ता व ओडी में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत की. उनसे पदाधिकारियों से बातचीत की. उनसे एक सम्या तो नहीं है, उनसे पूछताछ करने के बाद मोतीझील स्थित कार्यालय लौट गए. कांटी थाने में बवाल के दूसरे दिन सुचारू ढंग से थाने का कार्य चल

रहा था. जो भी फरियादी पहुंच रहे थे, उनकी शिकायतें सुनी जा रही थी. फिलहाल थाने का चार्ज अपर थानेदार पुरुषोत्तम कुमार को दी गयी है. पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के अनुसार जल्द ही नए थानेदार की पोस्टिंग कर दी जाएगी.

यानी से छोड़े गये दोनों लड़कों से भी हो पूछताछ. मृतक के परिजनों का कहना है कि उनका बेटा तो दुनिया से चला गया. लेकिन, उसको इंसाफ चाहिए. बेटा को इंसाफ दिलाने के लिए ऑतम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी. परिजनों का दूसरे दिन भी यही डिमांड थी कि उनके बेटे की मौत की न्यायिक

मैनेज करने के लिए आया फोन

कांटी. मृतक शिवम के भाई ने बताया कि उनलोगों से थाना का कोई भी अधिकारी कुछ पूछने तक नहीं आया. हालांकि सुबह में किसी नंबर से फोन आया था, जिसे उसकी मां ने रिसीव किया. फोन पर कहा गया कि थाना पर आकार मैनेज कर लो. पूछने पर उसने अपना नाम नहीं बताया और फोन काट दिया. उसने बताया कि इतना ज्यादा फोन आता है कि दुबारे नंबर की पहचान करना संभव नहीं है.

दूसरे दिन भी ग्रामीणों में रही चर्चा

कांटी थाना हाजत में हुई शिवम की मौत को लेकर दूसरे दिन भी चंद्रभान कलवारी गांव में चर्चा का विषय रहा. पुलिस ने घटना को सुसाइड बताया है. उनके पास सुसाइड करने का साक्ष्य सीसीटीवी मौजूद है. लेकिन, पुलिस की बात पर ग्रामीणों का कहना है कि अगर शिवम ने सुसाइड की है तो आखिर शिवम को सुसाइड के लिए किसने मजबूर किया है. यह सब न्यायिक जांव के बाद ही विलयर होगा.

जांच हो और जांच अधिकारी उन दो लड़कों का भी बयान दर्ज करें जिनको थाने से छोड़ा गया था. अगर छोड़ा तो

रात में ही कर दिया गया था अंतिम संस्कार

पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार की देर रात ही गांव में ही शिवम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. पिता कृष्ण नंदन झा ने मुखाग्नि दी है. परिवार के सदस्य शिवम की मौत के गम से बाहर नहीं आ पाए हैं. परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. जानकारी हो कि तीन डॉक्टरों की मैंडिकल बोर्ड ने शिवम के शव का पोस्टमार्टम किया था. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी गयी थी.

वह किसके आदेश पर, कितने पैसे लेकर, किसने छोड़ने के लिए पैरवी की थी. इन सब की जांच होनी चाहिए.



PIB

National Human Rights Commission

NHRC, India's two-week online short-term internship for university-level students concludes

70 students from various universities in different regions and far-flung areas of the country completed the internship

Secretary General, Shri Bharat Lal in his valedictory address encouraged students to internalise core human values of empathy and sensitivity to make meaningful contribution to the society

https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=2100739

Posted On: 07 FEB 2025 6:03PM by PIB Delhi

The two-week online short-term internship programme organised by the National Human Rights Commission (NHRC), India has concluded today. It started on 27th January, 2025 with 70 students from various universities in different regions and far-flung areas of the country.

NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal in his valedictory address congratulated the students for the successful completion of their internship. He urged the interns to reflect on the knowledge they gained in various sessions on different aspects of human rights and carry it forward to make meaningful contributions to society.

Shri Lal said the nation earned its hard-fought freedom to have a Constitution guaranteeing civic and political rights to every individual. In recent years, concerted efforts are being made to ensure socio-economic and cultural rights and dignity to all. A massive effort is on to improve the quality of life, ease of living and dignity to all. The idea is that no one is left behind. It is for the youth of the country to make the best use of the constitutional provisions for the all-round development of the country with new ideas in keeping pace with the changing times.

The Secretary General also encouraged the students to internalise core human values of empathy and sensitivity. He stressed that once the opportunity to help someone is lost, it is lost forever. Therefore, it is essential to ensure that there is improved quality of life, enhanced ease of living, access to all basic amenities, safe and secure public spaces and workplaces, education for all and the rights of every individual including the vulnerable and marginalized, are protected,

Lt Col Virender Singh, Director, NHRC, India presented the internship report.

Besides the sessions on different aspects of human rights by the senior NHRC officers, experts and civil society representatives, the interns were also taken for virtual tours to the Tihar Jail and Asha Kiran Shelter Home in Delhi. They were given an understanding of how different government institutions function, the mechanisms to protect human rights, the realities on the ground, and the necessary steps to protect the rights of vulnerable sections of society. He also announced the winners of the book review, group research project presentation, and declamation competition.

NSK

(Release ID: 2100739) Visitor Counter: 286



onmanorama

India raises concerns over US deportation methods; Cong moves NHRC

https://www.onmanorama.com/news/india/2025/02/07/india-us-deportation-shackles-human-rights.html

Onmanorama Staff PUBLISHED: FEBRUARY 07, 2025 09:17 PM IST 2 MINUTE READ

New Delhi: India has expressed concerns to the US regarding the deportation of illegal Indian immigrants in shackles, stating that such treatment "could have been avoided," Foreign Secretary Vikram Misri said on Friday.

His remarks follow widespread criticism over the deportation of 104 Indian nationals who were returned on a US military aircraft while restrained during a 40-hour flight.

"We do make our concerns known to the United States that this kind of treatment can perhaps be avoided," Misri said in response to questions on the deportation. He noted that there are 487 presumed Indian citizens with final removal orders from the US, of which details of 298 individuals have been shared with Indian authorities for verification.

Misri clarified that the US policy of deporting illegal immigrants in restraints has been in place since 2012. Addressing a query on whether India had formally protested such deportations in the past, he said, "I don't think there was any protest. We don't have any record of any protest having been made about it." He referred to External Affairs Minister S Jaishankar's recent statement in Parliament, highlighting that these procedures have been standard practice for over a decade. India has emphasised to US authorities that deportees should not face mistreatment, reported PTI. "We will continue to take up any instances of mistreatment that come to our attention," Misri said, adding that the real issue that needs to be addressed is the "ecosystem of illegal immigration."

Meanwhile, the Congress's Delhi unit has approached the National Human Rights Commission (NHRC), condemning the deportation as "inhumane." In a complaint submitted on Friday, the party demanded an inquiry and urged the central government to take steps to prevent similar incidents. The delegation, led by Delhi Congress president Devender Yadav, argued that the deported individuals had gone to the US in search of jobs and were not involved in criminal activities. "The manner in which they were deported in a military plane in shackles on a flight stretching over 40 hours was inhuman and a gross violation of human rights by the US," the party stated.

The complaint urged the NHRC to investigate why these Indian immigrants were subjected to such treatment and sought directives for the Centre to ensure that Indian nationals are not "humiliated and deported in an inhuman manner, flouting international laws."

A US military aircraft carrying 104 Indian citizens landed in Amritsar on Wednesday, marking the first such large-scale deportation under the Trump administration's crackdown on illegal immigration.



Free Press Journal

Delhi Congress Submits Complaint To NHRC On Deportation Of 104 Indian Immigrants In 'Inhumane Manner'

According to a statement, a delegation, on the direction of Delhi Congress president Devender Yadav, pointed out to the National Human Rights Commission chief that the Indian citizens went to the US in search of jobs and "they were not criminals or involved in any criminal activity".

https://www.freepressjournal.in/india/delhi-congress-submits-complaint-to-nhrc-on-deportation-of-104-indian-immigrants-in-inhumane-manner

PTI | Updated: Friday, February 07, 2025, 07:31 PM IST

New Delhi: The Congress' Delhi unit on Friday submitted a complaint to the chairperson of the National Human Rights Commission (NHRC) on the deportation of 104 Indian illegal immigrants from the United States in an "inhumane" manner, the party said.

The complaint demanded a probe into the issue and sought directions to the Centre to prevent such incidents in future.

According to a statement, a delegation, on the direction of Delhi Congress president Devender Yadav, pointed out to the National Human Rights Commission chief that the Indian citizens went to the US in search of jobs and "they were not criminals or involved in any criminal activity".

"The manner in which they were deported in a military plane in shackles on a flight stretching over 40 hours was inhuman and a gross violation of human rights by the US," the statement alleged.

The complaint appealed to the NHRC chief to probe why the Indians were deported in such a manner.

It sought directions to the central government to ensure that the Indian immigrants to the US were not "humiliated and deported in an inhuman manner, flouting all international laws".

The delegation included the chairman of the legal and human rights department of the Delhi Congress, Sunil Kumar.

A US military aircraft carrying 104 Indian citizens landed in Amritsar on Wednesday, the first such batch of Indians deported by the Trump administration as part of a crackdown against illegal immigrants.

(Except for the headline, this article has not been edited by FPJ's editorial team and is auto-generated from an agency feed.)



The Statesman

Delhi Cong files complaint with NHRC over 'inhuman' deportation of Indians

The Delhi unit of the Congress on Friday filed a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) regarding the "inhuman treatment" of Indian illegal immigrants deported from the United States.

https://www.thestatesman.com/cities/delhi-cong-files-complaint-with-nhrc-over-inhuman-deportation-of-indians-1503395538.html

Statesman News Service | New Delhi | February 7, 2025 8:42 pm

The Delhi unit of the Congress on Friday filed a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) regarding the "inhuman treatment" of Indian illegal immigrants deported from the United States.

A delegation from the party's Legal and Human Rights Department, acting on behalf of Delhi Congress President Devender Yadav, met the NHRC Chairperson and submitted a complaint alleging human rights violations by the US.

The complaint stated that "104 Indian immigrants were deported to India on a US military aircraft in an inhumane manner, with their hands and feet shackled."

The Congress delegation emphasized that these Indian citizens had traveled to the US in search of employment and were neither criminals nor involved in any illegal activities.

They condemned their deportation in a military aircraft under such degrading conditions on a flight lasting over 40 hours, calling it a severe violation of human rights by the US.

The delegation also urged the NHRC chief to investigate the circumstances surrounding the deportation and to issue directives to the Central government to ensure that Indian immigrants are not subjected to humiliation and inhumane treatment in the future, in violation of international laws.



Devdiscourse

Inhumane Deportation: Delhi Congress Urges NHRC Investigation

The Delhi Congress has filed a complaint with the NHRC over the deportation of 104 Indian illegal immigrants by the US, citing human rights violations. They urge an investigation and demand the Centre take measures to prevent similar incidents. A delegation led by Delhi Congress president Devender Yadav submitted the protest.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3256954-inhumane-deportation-delhicongress-urges-nhrc-investigation

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 07-02-2025 19:11 IST | Created: 07-02-2025 19:11 IST

The Delhi unit of the Congress submitted a formal complaint to the National Human Rights Commission (NHRC) regarding the deportation of 104 Indian illegal immigrants from the United States. The party claims that the manner of deportation was 'inhumane' and a breach of human rights.

The complaint demands an investigation into the deportation and calls for the central government's intervention to ensure such incidents do not occur in the future. The citizens deported had traveled to the US seeking employment and weren't engaged in any criminal activities, as stated by the party.

Describing the deportation process, the party highlighted that the immigrants were sent back on a US military aircraft restrained in shackles for over 40 hours. The Delhi Congress seeks answers from the NHRC on the reasons behind this treatment and urges the government to uphold international human rights laws.

(With inputs from agencies.)



India Today

Supreme Court lawyer petitions human rights panel over Indian deportees' treatment

A Supreme Court lawyer, Virendra Vashistha, has petitioned the NHRC over the treatment of Indian migrants deported from the US. He condemned the use of restraints during transit, calling it inhumane. He urged an investigation and government intervention.

https://www.indiatoday.in/india/story/supreme-court-lawyer-petitions-human-rights-panel-over-indian-deportees-plight-2676609-2025-02-08

Rahul Gautam | New Delhi, UPDATED: Feb 8, 2025 06:47 IST

Written By: Akhilesh Nagari

In Short

Senior lawyer files petition with NHRC over treatment of deported Indian migrants

Deportees were restrained in handcuffs and shackles on US military aircraft

Measures caused physical pain and psychological distress, violating human rights

A senior lawyer and member of the Supreme Court Bar Association, Virendra Vashistha, has filed a petition before the National Human Rights Commission (NHRC), expressing concern over the treatment of Indian migrants deported from the United States.

In his letter to the commission, Vashistha stated that the deportees were restrained in handcuffs and shackles and transported on a US military aircraft. Vashistha wrote, "We only use this method for dangerous criminals, which is a serious violation of fundamental human rights."

Vashistha said that the deportees remained in restraint throughout the journey, despite their only offence being illegal migration. He stated that such measures caused physical pain, psychological distress, and emotional trauma. He referred to United Nations human rights standards, which prohibit the use of force on non-violent individuals. "Placing deported individuals in handcuffs and shackles without any security threat is degrading, inhuman, and unjustified," he said.

He urged the NHRC to investigate the matter and document the experiences of those affected. He called on the Ministry of External Affairs to raise the issue with the US government and ensure accountability. He also requested that those who returned receive medical and psychological support. "Human rights organisations must take note of this to prevent such incidents in the future," he wrote. "The NHRC must intervene immediately to protect the dignity of Indian citizens. It is unacceptable to place non-violent deportees in restraints, and this must be strongly condemned," he added.

INDIA TODAY, Online, 8.2.2025

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

On Wednesday, a US military aircraft carrying 104 deported immigrants arrived in India. The deportees included 33 from Haryana, 33 from Gujarat, 30 from Punjab, three each from Maharashtra and Uttar Pradesh, and two from Chandigarh. The returnees claimed that they were kept in handcuffs and shackles throughout the journey.



newsmeter

India spent Rs 86.99L on ministers, ex-ministers, MPs hospitality in Davos: RTI

https://newsmeter.in/top-stories/india-spent-rs-8699I-on-ministers-ex-ministers-mps-hospitality-in-davos-rti-743360

7 February 2025

Hyderabad: A Right to Information (RTI) reply has revealed that Rs 86,99,112 was spent by the Embassy of India in Switzerland for the hospitality and transportation of ministers, ex-ministers, MPs, and officials who attended the World Economic Forum (WEF) at Davos in Switzerland last month.

Details of the RTI response

Ajay Basudev Bose, a resident of Amravati, Maharashtra, submitted an RTI application on January 22, seeking information about the MPs, chief ministers of various states in the country, and officials along with their designation attended the WEF Conference in Davos.

The response from the Embassy of India revealed that Ministers from Railways, Civil Aviation, Food Processing Industries, Jal Shakti, Skill Development and Entrepreneurship, External Affairs, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), and the National Human Rights Commission participated in the WEF Conference.

Chief Ministers- N Chandrababu Naidu (Andhra Pradesh), A Revanth Reddy (Telangana) and Devendra Fadnavis (Maharashtra), Kerala Minister for Industries P Rajeeve and Uttar Pradesh chief secretary Manoj Kumar Singh, along with their cabinet colleagues and officials concerned also participated in the WEF Conference.

The RTI response also stated that 18 members from Telangana including Chief Minister A Revanth Reddy travelled to Davos, the highest among the other states attending the WEF Conference. Kerala attended the WEF Conference with a seven-member delegation including the Minister for Industries P Rajeeve, the lowest among other states.

From Maharashtra, a 12-member delegation led by Devendra Fadnavis attended the WEF Conference. Interestingly, Nara Brahmani, wife of Andhra Pradesh Minister for IT and HRD Nara Lokesh who does not hold any portfolio in the government also traveled to Davos with the state delegation led by Chandrababu Naidu.

However, the RTI did not mentioned about the details of delegation from Tamilnadu visited the Davos.

In response to Ajay Basudev Bose's query on the expenditure incurred by the Mission, on behalf of visiting Ministers/delegates to WEF 2025, the Embassy of India in Switzerland said that Rs 86,99,112 was spent by the Mission. For total expenditure, it also suggested Ajay Basudev Bose contact concerned Ministers/Departments in India.



LatestLY

देश की खबरें | कांग्रेस ने 'अमानवीय तरीके' से भारतीय प्रवासियों के निर्वासन को लेकर एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने कहा कि उसने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों का 'अमानवीय तरीके' से निर्वासन किये जाने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

https://hindi.latestly.com/agency-news/congress-lodged-a-complaint-with-nhrc-regarding-the-exile-of-indian-migrants-with-inhuman-methods-2489711.html

एजेंसी न्यूज Bhasha| Feb 07, 2025 08:22 PM IST

नयी दिल्ली, सात फरवरी कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने कहा कि उसने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों का 'अमानवीय तरीके' से निर्वासन किये जाने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

इस शिकायत में मामले की जांच कराने समेत भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

एक बयान के अनुसार, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख को बताया कि भारतीय नागरिक नौकरियों की तलाश में अमेरिका गए थे और "वे अपराधी नहीं थे और ना ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।"

बयान में आरोप लगाया गया कि "जिस तरह से उन्हें सैन्य विमान में 40 घंटे से अधिक की उड़ान के दौरान बेड़ियों में बांधकर निर्वासित किया गया, वह अमानवीय और अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन था।"

शिकायत में एनएचआरसी प्रमुख से इस बात की जांच करने की अपील की गई है कि भारतीयों को इस तरह क्यों निर्वासित किया गया।

नयी दिल्ली, सात फरवरी कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने कहा कि उसने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों का 'अमानवीय तरीके' से निर्वासन किये जाने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

इस शिकायत में मामले की जांच कराने समेत भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

एक बयान के अनुसार, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख को बताया कि भारतीय नागरिक नौकरियों की तलाश में अमेरिका गए थे और "वे अपराधी नहीं थे और ना ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।"

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

बयान में आरोप लगाया गया कि ''जिस तरह से उन्हें सैन्य विमान में 40 घंटे से अधिक की उड़ान के दौरान बेड़ियों में बांधकर निर्वासित किया गया, वह अमानवीय और अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन था।"

शिकायत में एनएचआरसी प्रमुख से इस बात की जांच करने की अपील की गई है कि भारतीयों को इस तरह क्यों निर्वासित किया गया।

इसने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके 'अमानवीय तरीके से अपमानित और निर्वासित नहीं किया जाए।"

प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की दिल्ली इकाई के कानूनी एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष सुनील कुमार भी शामिल थे।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)



Navbharat Times

मुजफ्फरपुर कांटी थाना हाजत मौत मामलाः मानवाधिकार आयोग में शिकायत, पुलिसकर्मी निलंबित

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/muzaffarpur/muzaffarpur-kanti-police-station-lockup-death-case-complaint-lodged-in-human-rights-commission-policeman-suspended/videoshow/118007967.cms

Edited by रवि सिन्हा | Reported by संदीप कुमार | नवभारतटाइम्स.कॉम७ Feb 2025, 1:38 pm

मुजफ्फरपुरः बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना हाजत में एक युवक की हुई मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता एस. के. झा की ओर से मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच रिटायर्ड न्यायाधीश के द्वारा कराने की मांग की गई है। मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचने के बाद पुलिस के हाथ-पांव फूलने लगे है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी ने कांटी थानेदार समेत तीन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड तो कर दिया है। लेकिन मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचने के बाद यह केस मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए गले की फांस बन गई है।



The Print Hindi

कांग्रेस ने 'अमानवीय तरीके' से भारतीय प्रवासियों के निर्वासन को लेकर एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई

https://hindi.theprint.in/india/congress-files-complaint-with-nhrc-over-inhumane-deportation-of-indian-migrants/783930/

भाषा | 7 February, 2025 08:33 pm IST

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने कहा कि उसने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों का 'अमानवीय तरीके' से निर्वासन किये जाने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

इस शिकायत में मामले की जांच कराने समेत भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

एक बयान के अनुसार, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख को बताया कि भारतीय नागरिक नौकरियों की तलाश में अमेरिका गए थे और "वे अपराधी नहीं थे और ना ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।"

बयान में आरोप लगाया गया कि ''जिस तरह से उन्हें सैन्य विमान में 40 घंटे से अधिक की उड़ान के दौरान बेड़ियों में बांधकर निर्वासित किया गया, वह अमानवीय और अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन था।"

शिकायत में एनएचआरसी प्रमुख से इस बात की जांच करने की अपील की गई है कि भारतीयों को इस तरह क्यों निर्वासित किया गया।

इसने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके 'अमानवीय तरीके से अपमानित और निर्वासित नहीं किया जाए।"

प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की दिल्ली इकाई के कानूनी एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष सुनील कुमार भी शामिल थे।

भाषा संतोष दिलीप

दिलीप

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.



Aaj Tak

'मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन...', NHRC पहुंचा अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला

सुप्रीम कोर्ट के विरष्ठ वकील वीरेंद्र विशिष्ठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखकर अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई है. वकील ने अपने पत्र में कहा कि निर्वासित भारतीयों को पूरे सफर के दौरान हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया, मानो वे अपराधी हों, जबिक उनका एकमात्र अपराध अवैध प्रवास था.

https://www.aajtak.in/india/news/story/petition-given-to-nhrc-against-inhuman-treatment-given-to-indian-deportees-from-usa-ntc-rpti-2161623-2025-02-08

राहुल गौतम, नई दिल्ली, 08 फरवरी 2025, (अपडेटेड 08 फरवरी 2025, 4:46 AM IST)

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य और विरष्ठ वकील वीरेंद्र विशिष्ठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखकर अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई है. पत्र में कहा गया है कि हाल ही में अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर एक अमेरिकी सैन्य विमान से लाया गया. यह तरीका केवल खतरनाक अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है.

वकील ने अपने पत्र में कहा कि निर्वासित भारतीयों को पूरे सफर के दौरान हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया, मानो वे अपराधी हों, जबिक उनका एकमात्र अपराध अवैध प्रवास था. इस तरह की कठोर प्रक्रिया से लोगों को शारीरिक दर्द, मानसिक आघात और भावनात्मक तनाव बढ़ा. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार नियमों के अनुसार, गैर-हिंसक व्यक्तियों पर इस प्रकार का बल प्रयोग अवैध है. बिना किसी सुरक्षा खतरे के, निर्वासित लोगों को हथकड़ी और बेडियों में रखना अपमानजनक, अमानवीय और असंगत था.

NHRC से की गई ये मांग

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि NHRC इस मामले की गहन जांच करे और प्रभावित लोगों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण करे. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय से आग्रह किया जाए कि वह इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाए और जवाबदेही तय करे. भारत लौटे लोगों को उचित चिकित्सा और मानसिक सहायता दी जाए. मानवाधिकार संगठनों के सामने इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

वीरेंद्र विशष्ठ ने NHRC से तत्काल हस्तक्षेप करने और भारतीय नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि गैर-हिंसक निर्वासित लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर रखना अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए.

बुधवार को डिपोर्ट होकर भारत लौटे 104 लोग

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस क्रम में बुधवार को 104 अवैध अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान भारत पहुंचा.

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

यह ट्रंप सरकार द्वारा भारतीयों को वापस भेजने का पहला जत्था है. निर्वासित लोगों में हरियाणा और गुजरात से 33-33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से तीन-तीन और चंडीगढ़ से दो लोग हैं. भारत पहुंचे लोगों ने दावा किया कि उन्हें पूरे रास्ते हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर रखा गया.



Lallan Top

अमेरिका अभी 487 और भारतीयों को करेगा डिपोर्ट, मानवाधिकार आयोग पहुंचा गलत बर्ताव का मामला

https://www.thelallantop.com/news/post/indians-deported-from-us-issue-of-illegal-immigrants-reaches-nhrc-487-immigrants-back-to-india

US Deported Indians: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य और विरष्ठ वकील वीरेंद्र विशिष्ठ ने NHRC को पत्र लिखकर भारतीय प्रवासियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई है. इसके साथ ही अमेरिका रह रहे 487 और अवैध भारतीय प्रवासियों को पहचान की गई है. जिन्हें जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाएगा.

अर्पित कटियार ८ फ़रवरी २०२५ (अपडेटेड: ८ फ़रवरी २०२५, ०८:०० IST)

अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय प्रवासियों का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहुंच गया है (Indians Deported From US). सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य और विरष्ठ वकील वीरेंद्र विशष्ठ ने NHRC को पत्र लिखकर भारतीय प्रवासियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई है. पत्र में उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्रालय से आग्रह किया जाए कि वह इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाए और जवाबदेही तय करे. बता दें कि अमेरिकी सेना का मिलिट्री एयरक्राफ्ट 'सी-17 ग्लोबमास्टर' 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ. जिसमें 104 प्रवासी भारतीय थे.

क्या लिखा गया पत्र में?

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील वीरेंद्र विशिष्ठ ने अपने पत्र में लिखा कि हाल ही में अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर एक अमेरिकी सैन्य विमान से लाया. यह तरीका केवल खतरनाक अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है. उन्होंने लिखा.

'निर्वासित भारतीयों को पूरे सफर के दौरान हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया, जैसे वे खतरनाक अपराधी हों. जबिक उनका एकमात्र अपराध अवैध प्रवास था. इस तरह की कठोर प्रक्रिया से लोगों को शारीरिक दर्द, मानिसक आघात और भावनात्मक तनाव बढ़ा. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार नियमों के मुताबिक, गैर-हिंसक व्यक्तियों पर इस प्रकार का बल प्रयोग करना अवैध है. बिना किसी सुरक्षा खतरे के, निर्वासित लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखना अपमानजनक, अमानवीय और असंगत था.'

पत्र में क्या मांग की गई? पत्र में शिकायत के अलावा कई मांगे भी की गई-

- NHRC इस मामले की जांच करे और प्रभावित लोगों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण करे.
- विदेश मंत्रालय से आग्रह किया जाए कि वह इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाए और जवाबदेही तय करे.
- भारत लौटे लोगों को उचित चिकित्सा और मानसिक सहायता दी जाए.
- मानवाधिकार संगठनों के सामने इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

वकील वीरेंद्र ने कहा कि निर्वासित भारतीयों लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर रखना स्वीकार्य नहीं है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए.

दिल्ली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के सारे लाइव ट्रेंड्स और परिणाम के लिए यहां क्लिक करें '487' प्रवासियों को भारत भेजने की तैयारी

इन सबके बीच अमेरिका रह रहे 487 और अवैध भारतीय प्रवासियों को पहचान की गई है. जिन्हें जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने इन अवैध प्रवासियों की पहचान कर ली है. एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि विदेश मंत्री (EAM) ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा शेयर किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) की जानकारी दी है.

उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकी प्रशासन को स्पष्ट कर दिया है कि निर्वासित भारतीयों के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की जानकारी हमें मिलती है, तो हम इसे तुरंत उच्च स्तर पर उठाएंगे.



Navodata Times

कांग्रेस ने 'अमानवीय तरीके' से भारतीय प्रवासियों के निर्वासन को लेकर NHRC में दर्ज कराई शिकायत

https://www.navodayatimes.in/news/national/congress-complaint-nhrc-over-inhuman-deportation-of-indian-immigrants/256967/

Edited By NavodayaTimes, Updated: 07 Feb, 2025 08:38 PM

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने कहा कि उसने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों का 'अमानवीय तरीके' से निर्वासन किये जाने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

इस शिकायत में मामले की जांच कराने समेत भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। एक बयान के अनुसार, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख को बताया कि भारतीय नागरिक नौकरियों की तलाश में अमेरिका गए थे और "वे अपराधी नहीं थे और ना ही किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।"

बयान में आरोप लगाया गया कि "जिस तरह से उन्हें सैन्य विमान में 40 घंटे से अधिक की उड़ान के दौरान बेड़ियों में बांधकर निर्वासित किया गया, वह अमानवीय और अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन था।" शिकायत में एनएचआरसी प्रमुख से इस बात की जांच करने की अपील की गई है कि भारतीयों को इस तरह क्यों निर्वासित किया गया।

इसने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके 'अमानवीय तरीके से अपमानित और निर्वासित नहीं किया जाए।" प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की दिल्ली इकाई के कानूनी एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष सुनील कुमार भी शामिल थे।



Agniban

एनएचआरसी पहुंचा अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला

https://www.agniban.com/the-matter-of-inhuman-treatment-of-indians-deported-from-america-reaches-nhrc/

February 08, 2025 | Kalyan Singh

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बार एसोसिएशन के सदस्य और विरष्ठ वकील वीरेंद्र विशिष्ठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखकर अमेरिका (America) से निर्वासित किए गए भारतीय प्रवासियों (Indian Migrants) के साथ हुए अमानवीय व्यवहार (Inhumane treatment) पर चिंता जताई है. पत्र में कहा गया है कि हाल ही में अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर एक अमेरिकी सैन्य विमान से लाया गया. यह तरीका केवल खतरनाक अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है.

वकील ने अपने पत्र में कहा कि निर्वासित भारतीयों को पूरे सफर के दौरान हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया, मानो वे अपराधी हों, जबिक उनका एकमात्र अपराध अवैध प्रवास था. इस तरह की कठोर प्रक्रिया से लोगों को शारीरिक दर्द, मानिसक आघात और भावनात्मक तनाव बढ़ा. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार नियमों के अनुसार, गैर-हिंसक व्यक्तियों पर इस प्रकार का बल प्रयोग अवैध है. बिना किसी सुरक्षा खतरे के, निर्वासित लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखना अपमानजनक, अमानवीय और असंगत था.

NHRC से की गई ये मांग

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि NHRC इस मामले की गहन जांच करे और प्रभावित लोगों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण करे. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय से आग्रह किया जाए कि वह इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाए और जवाबदेही तय करे. भारत लौटे लोगों को उचित चिकित्सा और मानसिक सहायता दी जाए. मानवाधिकार संगठनों के सामने इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

वीरेंद्र विशष्ठ ने NHRC से तत्काल हस्तक्षेप करने और भारतीय नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि गैर-हिंसक निर्वासित लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर रखना अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए.

बधवार को डिपोर्ट होकर भारत लौटे 104 लोग

बता दें कि राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस क्रम में बुधवार को 104 अवैध अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान भारत पहुंचा. यह ट्रंप सरकार द्वारा भारतीयों को वापस भेजने का पहला जत्या है. निर्वासित लोगों में हरियाणा और गुजरात से 33-33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से तीन-तीन और चंडीगढ़ से दो लोग हैं. भारत पहुंचे लोगों ने दावा किया कि उन्हें पूरे रास्ते हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर रखा गया.



Samacharnama

Varanasi बीएचयू में दिहाड़ी मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण करें डीएम

https://samacharnama.com/city/varanasi/varanasi-dm-asks-bhu-to-protect-rights-of-daily-wage/cid16177868.htm

By City Desk | Feb 7, 2025, 14:00 IST

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने बीएचयू में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारी वाराणसी को आदेश दिया है. मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट के अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने एनएचआरसी से शिकायत की थी. इसे संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने जिलाधिकारी को निर्देश देने के साथ आठ सप्ताह में कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

शिकायतकर्ता ने कहा था कि बीएचयू प्रांगण में प्रति वर्ष किसी न किसी इमारत का निर्माण या मरम्मत कार्य चलता रहता है. जिसके लिए यहां बड़ी संख्या में दूरदराज से मजदूर महिलाएं और पुरुष यहां आकर मजदूरी करते हैं. मजदूर अपने परिवार व बच्चों के साथ विश्वविद्यालय कैंपस में कई महीने या वर्षों तक दिहाड़ी पर कार्य करते और रहते हैं. ऐसे में इन परिवारों के रहने के लिए उचित मानवीय परिस्थितियों की व्यवस्था नहीं है. उनके आवास के नाम पर कुछ टिन शेड की व्यवस्था कर दी जाती है जिनमें न तो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होती है, न ही उचित खान-पान की. सर्दी और गर्मी के मौसम में यह टिनशेड रहने लायक नहीं रह जाते. इसके अलावा मजदूरों के बच्चों की न तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है, न ही मजदूरों के काम पर जाते समय उनकी देखभाल की. ऐसे में बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार व मजदूरों के गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है. एनएचआरसी ने जिलाधिकारी वाराणसी को इन दिहाड़ी मजदूरों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में आठ सप्ताह में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट तलब करने के साथ ही इसकी प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

एचएमपीवी का इलाज होम्योपैथी में

आइडियल होमियोपैथिक वेलफेयर आर्गेनाइजेशन वाराणसी इकाई के पदाधिकारियों की बैठक हुई. करौंदी स्थित एक क्लीनिक पर बैठक में एचएमपीवी वायरस पर चर्चा की गई. डॉक्टरों ने कहा कि होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धित से इस वायरस से बचाव और उपचार संभव है. बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश त्रिपाठी, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जेएन सिंह रघुवंशी, डॉ. डीएस सिंह, डॉ. आरसी श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष डॉ. वी शंकर, डॉ. सर्वेश चौबे, डॉ. शैलेन्द्र पाण्डेय, डॉ. डीके पटेल, जिला सचिव डॉ. अर्पिता चटर्जी, डॉ. शकील अहमद, डॉ. वीके शुक्ला आदि मौजूद रहे.

वाराणसी न्यूज़ डेस्क



Dainik Bhaskar

बिना इलाज के ही निकाले गए पैसे:आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी, मानवाधिकार आयोग दिल्ली में शिकायत

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/rampur/news/money-withdrawn-without-treatment-134431573.html

शन्नू ख़ान, रामपुर6 घंटे पहले

रामपुर में आयुष्मान भारत योजना में एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यूसुफ खान नामक मरीज ने आरोप लगाया है कि उनका सामान्य इलाज करने के बाद उनकी जानकारी के बिना ही आयुष्मान योजना से पैसे निकाल लिए गए।

मामले में पीड़ित यूसुफ खान ने बताया कि जून 2024 में जिला अस्पताल में उनकी ईसीजी की गई, जिसके लिए उन्होंने 50 रुपये का भुगतान किया। उन्हें आयुष्मान योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही कोई लाभ मिला। लेकिन बाद में पता चला कि उनके नाम पर आयुष्मान योजना से पैसे निकाले गए हैं।

जांच पर भी सवाल शिकायत के बाद की गई जांच पर भी सवाल उठे हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से 13 दिसंबर 2024 को जारी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि डॉ. ओ.पी. आर्य और डॉ. राजीव राजपाल ने जांच की। लेकिन यूसुफ खान का आरोप है कि न तो उन्हें जांच की सूचना दी गई और न ही उनका बयान लिया गया। डॉ. ओ.पी. आर्य केवल उन्हें प्राइवेट वार्ड से डिस्चार्ज करने आए थे।

नई जांच की मांग पीड़ित ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र भेजा है। उनकी मांग है कि मौजूदा जांच रिपोर्ट को निरस्त कर उनकी मौजूदगी में नई जांच कराई जाए।



The Print Hindi

अचानक हुई मौतों और कोविड-19 के बीच संबंध की पड़ताल के लिए समिति गठित हो : सिद्धरमैया

https://hindi.theprint.in/india/a-committee-should-be-formed-to-investigate-the-connection-between-sudden-deaths-and-covid-19-siddaramaiah/783929/?amp

भाषा | 7 February, 2025

बेंगलुरु, सात फरवरी (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अधिकारियों को राज्य में दिल के दौरे और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के कारण अचानक होने वाली मौतों पर गहन अध्ययन के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक सिमिति गठित करने का निर्देश दिया है और यह पड़ताल करने का निर्देश दिया है कि क्या इनका कोई संबंध कोरोना वायरस या कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभावों से है।

बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक नोट में कहा गया, "विरष्ठ पत्रकार राजाराम तल्लूर ने हमें ईमेल के माध्यम से बताया है कि हाल में दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों में राज्य में हृदयाघात, मस्तिष्क संबंधी समस्याओं, तंत्रिका संबंधी विकारों और अन्य कारणों से युवाओं की अचानक मृत्यु की खबरें सामने आई हैं। प्रत्येक मृत्यु आश्रित परिवारों को वित्तीय और सामाजिक संकटों में धकेल रही है।"

इसके अलावा, नोट में कहा गया है कि इस बारे में सार्वजनिक रूप से अटकलें जताई जा रही हैं कि क्या ये मौतें कोरोना वायरस या कोविड-19 टीकों के दुष्प्रभावों से जुड़ी हो सकती हैं।

भाषा शफीक रंजन

रंजन

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.